प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' बाईस '

[31/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 6043]

परिशिष्ट''अ''

विधान सभा प्रश्न कमांक 6043 तारांकित

विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों के पात्रता संबंधीं मापदण्ड

क्र.	योजना का नाम	पात्रता के मापदण्ड
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का सदस्य हो। 60 वर्ष के अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध, 18 वर्ष से 39 आयु की विधवा, 18 से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाऐं, 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु के निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के सदस्य हो। जिनकी आयु 18 से 64 वर्ष, 65 से 79 एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति ।
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिलाऐं जिनकी आयु 40 से 79 वर्ष हो । *
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निःशक्त हितग्राही हो, जिनकी आयु 18 से 79 वर्ष हो तथा जिनकी निःशक्तता 80% या अधिक हो । *
5	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य स्त्री–पुरुष, जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष की हो, की प्राकृतिक/अप्राकृतिक रुप से मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त राशि रु0 20000/– की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है ।
6	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	योजनांतर्गत ऐसे दंपत्ति (पति/पत्नी दोनों में से एक की आयु 60 वर्ष होने पर) जिनकी आयु 60 वर्ष हो जो आयकरदाता न हो तथा जिन्हें संतान के रुप में मात्र बेटी/बेटियॉ हो, को रु0 500/– प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
7	मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सहायता योजना	मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्तता के सामूहिक विवाह/निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। निम्नानुसार राशि प्रदाय की जाती है :– 1. कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली हेतु 5 वर्ष तक के लिए सावधि जमा रु0 10000/– 2. विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (मंगलसूत्र, बिछिया, पायजेब (चांदी के) तथा 7 बर्तन) रु0 5000/– (सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा) 3. कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु अन्य सामग्री क्रय करने के लिए रु0 7000/– (यह राशि कन्या के स्वयं के बचत खाते में विवाह के एक दिन बाद अनिवार्य रुप से हस्तांतरित की जाये) 4. सामूहिक निकाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रु0 3000/–
8	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	योजना अन्तर्गत ऐसे समस्त भूमिहीन खेतीहर मजदूर जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम से खेती भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु कृषि, उद्यानिकी, वन रोपण तथा वनोपज संग्रह अदि में नियोजित हो कर सामान्य मध्यप्रदेश के निवासी हो, हितग्राही पात्र होंगे इस योजना के अन्तर्गत प्रसूति सहायता जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, छात्रवृत्ति/मेघावी छात्र पुरस्कार जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, चिकित्सा सहायता जो चिकित्सा सहायता स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता

		प्रदान की जाती है
9	आम आदमी / जनश्री बीमा योजना	प्रदेश के भूमिहीन ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना का योजनांतर्गत प्रदेश के ग्रामीण / शहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखिया को बीमित कर सहायता देने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से दिये जाने का प्रावधान है ।
10	अन्त्येष्टि सहायता योजना	योजनांतर्गत श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत हितग्राही अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने से परिवार का स्थाई आय स्त्रोत न होने पर उसकी अन्त्येष्टि के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते है। ऐसी स्थिति में उन्हें स्थानीय लोगों से दान प्राप्त करना अथवा उधार लेना पड़ता है । इसके अतिरिक्त लावारिश शव जिसकी कोई पहचान नहीं है और उस शव के अंतिम संस्कार हेतु कोई तैयार नहीं होता है । उपरोक्त स्थिति में अंतिम अन्त्येष्टि संस्कार हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है । उक्त योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र / शहरी क्षेत्र में प्रदाय किया जाता है।
11	निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना	विद्यार्थी म0प्र0 का निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रुप से अध्ययनरत हो । 40% या इससे अधिक निःशक्तता वाले विद्यार्थी जिन्हें चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो । उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि शासकीय स्कूलों में नियमित परीक्षार्थी के रुप में बोर्ड की परीक्षा में 60% या अधिक अंक प्राप्त किये हों, रु0 2500/– एवं 3000/– एक मुश्त।
12	निःशक्त छात्र / छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वहन भत्ता, परिवहन भत्ता योजना	म0प्र0 के निवासी निःशक्त छात्र / छात्राओं को 10+2 की शिक्षा के पश्चात मेडीकल, इंजीनियरिंग, कम्प्युटर प्रबंधन में स्नातक / स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालयों में ली जाने वाली शिक्षण शुल्क के बराबर शिक्षण शुल्क तथा निर्वहन भत्ता एवं स्नातक पश्चात ऐसे पाठयक्रमों में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित रुप से विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में परिवहन भत्ता।
13	निःशक्त विद्यार्थियों को उच्चशिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति	योजना का उद्देश्य 2–2 अस्थिबाधित निःशक्त छात्र / छात्राओं, 2–2 श्रवणबाधित एवं 2–2 दृष्टिबाधित अर्थात कुल 12 चयनित निःशक्त विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विदेश में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठयक्रमों / शोध उपाधि (पीएचडी) एवं शोध कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता ।
14	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना	मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, 40 प्रतिशत से अधिक की निःशक्तता हो, कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं लडके की उम्र 21 वर्ष हो, आवेदक / आवेदिका आयकर दाता न हो, विवाह धार्मिक रीति / सामाजिक रीति / सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो।
15	बहुविकलांग मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों के लिये सहायता अनुदान	मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, 6 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति जिसकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक (पुरूष / महिला) हो तथा समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो ।
16	एडीप योजना	निःशक्तजनों हेतु विभिन्न सामग्री / उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए सहायता योजना
17	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	ऐसे निःशक्त अभ्यार्थी जिनका स्पर्श पोर्टल पर नाम अंकित हो तथा जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक हो, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन की पात्रता ।
18	वृद्धाश्रम योजना	ऐसे वृद्धजन जो कि निराश्रित, बेघर, परित्यक्त एवं परिवार से निर्वासित एवं उपेक्षित हो, को खाना, रहना, चिकित्सीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
19	साधन / उपकरण प्रदाय	ऐसे निःशक्त व्यक्ति जिसकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है

	योजना	जिन्हें अपना कार्य करने के लिये विशेष साधन/उपकरण की आवश्यक्ता हो को चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण की पात्रता है।
20	मुख्य मंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना	मध्यप्रदेश का मूल निवासी, अस्थि बाधित (दोनों हाथ न होन पर) दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मंद बुद्धि निःश्क्त को जिनके द्वारा 10 वी कक्षा में प्रथम प्रवेश लेने पर, द्वितीय बार स्नातक/पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेने पर लॅपटॉप (एक बार) तथा अस्थि बाधित (दोनों पैर से चलने में असक्षम) को मोट्रेट ट्रायसाइकिल एक बार लाभ की पात्रता। अस्थि बाधित श्रेणी के विद्यार्थी गत परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक तथा अन्य श्रेणि के निःशक्तजन 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पॉलिटेक्निक कॉलेज में न्यूनतम 02 वर्ष का डिप्लोमा हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो ।
21	इंदिरा आवास/होम स्टेट/वनाधिकार योजना	योजना के तहत 40 प्रतिशत या इससे अधिक की निःशक्ता के निःशक्तजनों को 3 प्रतिशत आरक्षण कर आवास का लाभ दिये जानेका प्रावधान है।
22	कलापथक योजना	प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को क्षेत्रीय प्रचलित लोकशैली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे लोक गीत/लोक नाटय के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाता है ।

*** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के हितग्राही 79 वर्ष के पश्चात (80 वर्ष होने पर) स्वमेव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में सम्मिलित हो जाते है ।**

उप संचालक(सा0सहा0)
वास्ते संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश